

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/589

जयपुर, दिनांक: 14-1-2015

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) (कलेक्टर)।

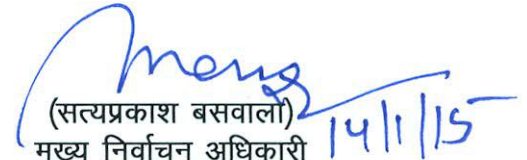
विषय: पंचायती राज संस्थाओं के लिए आम चुनाव-2015-चुनाव कार्यक्रम के संबंध में।
संदर्भ:- आयोग का पत्रांक 584 दिनांक 14.1.2015

महोदय,

आयोग के संदर्भित पत्र द्वारा ऐसी ग्राम पंचायतों जिनका कार्यकाल आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव कार्यक्रम 2015 में चुनाव की नियत तिथि से पूर्व समाप्त हो रहा है, के संबंध में यह निर्देश दिये थे कि, जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर ऐसी ग्राम पंचायतों की पहचान (Identification) कर उनका चुनाव यदि तीसरे चरण में निर्धारित है, तो उनका चुनाव उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व प्रथम या दूसरे चरण में अपनी सुविधानुसार सम्पन्न करावें तथा जिन ग्राम पंचायतों का चुनाव दूसरे चरण में निर्धारित है और दूसरे चरण से पूर्व ही उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो उनका चुनाव प्रथम चरण की ग्राम पंचायतों के साथ सम्पन्न करावें।

इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा ऐसी पंचायतों के चुनाव प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु निर्धारित तिथियों के स्थान पर इनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व की अन्य तिथियों पर करवाये जाने का अनुरोध किया है। अतः उक्त अनुरोधों पर विचार कर आयोग यह निर्देश देता है कि, जिला निर्वाचन अधिकारी उक्त ग्राम पंचायतों के निर्वाचन उनके कार्यकाल समाप्ति से पूर्व प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु निर्धारित तिथियों में अथवा यदि यह संभव नहीं हो तो अपने स्तर पर चुनाव के लिए इनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व की अन्य तिथियों निर्धारित कर चुनाव सम्पन्न करवा सकते हैं। इस संबंध में आपके स्तर पर तैयार किये गये कार्यक्रम की सूचना ऐसी ग्राम पंचायतों के विवरण सहित आयोग को तत्काल भिजवावें ताकि आपके द्वारा निर्धारित कार्यक्रम का अनुमोदन किया जा सके।

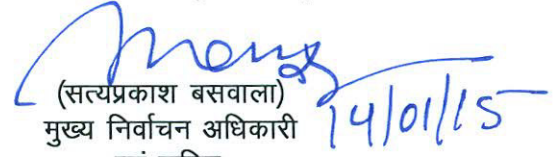
इसके साथ ही यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि, इन ग्राम पंचायतों से संबंधित पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के चुनाव आयोग के संशोधित चुनाव कार्यक्रम दिनांक 31.12.2014 के अनुसार यथावत रहेंगे।


(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, 14/1/15

क्रमांक: एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/590-91
प्रतिलिपि -

जयपुर, दिनांक: 14-1-2015

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को उनके पत्र दिनांक 13.1.2015 के क्रम में सूचनार्थ।
2. विशिष्ट पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, 14/01/15

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/584

जयपुर, दिनांक: 14-01-2015

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) (कलेक्टर)।

विषय: पंचायती राज संस्थाओं के लिए आम चुनाव-2015-चुनाव कार्यक्रम के संबंध में।
महोदय,

आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का संशोधित कार्यक्रम दिनांक 31.12.2014 को जारी किया गया था। जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए तीन चरण निर्धारित किये गये हैं। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के कारण 47 पंचायत समितियाँ नवसृजित हुई हैं तथा 64 पंचायत समितियाँ पुनर्गठित की गई हैं। उक्त नवसृजन एवं पुनर्गठन के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायतें एक-दूसरी पंचायत समितियों में अंतरित हुई हैं।

आयोग के ध्यान में यह तथ्य आया है कि, कुछ ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आयोग द्वारा निर्धारित संशोधित चुनाव कार्यक्रम, 2015 में नियत तिथि से पूर्व ही समाप्त हो रहा है। ऐसी सभी ग्राम पंचायतों का चुनाव उनके पाँच वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् दूसरे या तीसरे चरण में निर्धारित हैं, उनके संबंध में आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इनका निर्वाचन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 E एवं राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 17 के अनुसार नियत कार्यकाल 5 वर्ष की समाप्ति के पूर्व सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित कर लिया जावे।

ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका चुनाव दिनांक 31.12.2014 के कार्यक्रम के अनुसार उनके कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् होना है, आयोग के स्तर पर ऐसी ग्राम पंचायतों के संबंध में निश्चित संख्या एवं सूचना नहीं हैं। अतः आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि, ऐसी ग्राम पंचायतों का चुनाव भारत के संविधान एवं पंचायती राज अधिनियम द्वारा निर्धारित अवधि से पूर्व सम्पन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर ही ऐसी ग्राम पंचायतों की पहचान (Identification) कर उनका चुनाव यदि तीसरे चरण में निर्धारित है, उनका चुनाव उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व प्रथम या दूसरे चरण में अपनी सुविधानुसार सम्पन्न करावे तथा जिन ग्राम पंचायतों का चुनाव दूसरे चरण में निर्धारित है और दूसरे चरण से पूर्व ही उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनका चुनाव प्रथम चरण के ग्राम पंचायतों के साथ ही सम्पन्न करावे।

उक्त व्यवस्था के लिए जो भी विधिक प्रावधान हैं उनकी अनुपालना भी सुनिश्चित करली जावे जैसे यदि लोकसूचना जारी की जानी है तो पूर्व की लोकसूचना की प्रत्याहरित कर लें और नई लोकसूचना जारी कर दें।

उक्त निर्देश केवल उन ग्राम पंचायतों के लिए हैं जिनका कार्यकाल उनके लिए निर्धारित चुनाव तिथि से पूर्व ही समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, इन ग्राम पंचायतों से संबंधित पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के चुनाव आयोग के संशोधित चुनाव कार्यक्रम दिनांक 31.12.2014 के अनुसार यथावत रहेंगे।

इस संबंध में यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि, अपने कार्यक्रम की सूचना ऐसी ग्राम पंचायतों के विवरण सहित आयोग को तत्काल भिजवावे।


(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, 14/1/15

क्रमांक: एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/585

जयपुर, दिनांक: 14-01-2015

प्रतिलिपि शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को उनके पत्र दिनांक 13.1.2015 के क्रम में सूचनार्थ।

2. विशिष्ट पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) काबून एवं व्यक्ता
राज जयपुर को आवश्यक कार्यवाई हेतु।


(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, 14/01/15